

दवियांगजनों के लयि सुगम्यता

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में **सर्वोच्च नयायालय** ने पुष्टि की कि **दवियांगजनों (PWD)** के लयि पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार एक मानवीय और **मौलिक अधिकार** है।

- **पहुँच:** नयायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह **दवियांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नयिम 15** के तहत सार्वभौमिक पहुँच वाले सार्वजनिक और नजी स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें।
 - **दवियांगजन** अधिकार नियम, 2017 के **नयिम 15** में **भौतिक वातावरण, परिवहन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** की पहुँच को शामिल किया गया है।
- **कानूनी ढाँचा:** **दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का उद्देश्य दवियांगजनों (PWD) के अधिकारों की **रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना** है।
 - इसका उद्देश्य दवियांगजनों के अधिकारों पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाना है, जैसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था।
 - बेंचमार्क दवियांगता वाले व्यक्तिको उस व्यक्तिके रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें **दृष्टि दवियांगता का कम-से-कम 40%** हिस्सा हो।
- दवियांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित पहल: **सहायक उपकरण खरीदने/लगाने के लयि दवियांगजनों को सहायता, सुगम्य भारत अभियान** और **वशिष्ट दवियांगता पहचान पोर्टल**।

और पढ़ें: **दवियांगजनों के लयि सुगम्यता बढ़ाना**